अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 <u>पृष्ठभूमि</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 लागू होने से निगम से संबंधीत जानकारी नियमानुसार आवेदन करने पर दायित्व निगम का हैं । निगम की कार्यप्रणाली, उपलब्ध जानकारी एवं दस्तावेज तथा अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्यों की जानकारी संकलित रूप से मैन्यूअल में उपलब्ध है ।

1.2 <u>मैन्यूअल का उद्देश्य</u>

इस पुस्तिका के विभिन्न अध्यायों में निगम से संबंधित जानकारी का वर्गीकरण किया गया है ।

1.3 <u>मैन्यूअल किनके लिए उपयोगी है</u>

यह मैन्यूअल उन सभी व्यक्तियों / संस्थाओं के लिए उपयोगी है, जिन्होनें राज्य में उद्योग स्थापित किया है / करना चाहते हैं एवं औद्योगिक गतिविधियों सें संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है ।

1.4 <u>मैन्यअल का प्रारूप</u>

इस पुस्तिका का प्रारूप सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के प्रावधान के अनुसार है ।

1.5 <u>परिभाषाएं :</u>

1. **" नियत दिनांक"** से अभिप्रेत है 12 ऑक्टोबर 2005 ।

2. **"सामान्य क्षेत्र "** अभिप्रेत है राज्य के रायपुर, धमतरी, महासमुद, दुर्ग, राजनांदगाव, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा तथा रायगढ़ जिलों का क्षेत्र ।

3. **" अति पिछडे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र"** से अभिप्रेत है । राज्य के उत्तर बस्तर (कांकेर), बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर जिलों का क्षेत्र ।

4. **" औद्योगिक क्षेत्र"** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्ध्द शहरी औद्योगिक संस्थान /ग्रामीण कर्मशाला, औद्योगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी क्षेत्र में स्थापित विभिन्न औद्योगिक पार्क, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन के आधिपत्य में भूमि बैंक तथा राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन द्वारा संधारित औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र ।

5. **" नवीन औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11.2004 या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो ।

6. **विद्यमान औद्योगिक इकाई** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने औद्योगिक नीति 2004–09 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो ।

7. ''**विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार**'' से अभिप्रेत नियत दिनांक के पश्चात राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करके न्यूनतम 25 करोड़ रु0 स्थायी पूंजी निवेश करते हुए अपनी स्थापित मूल क्षमता या 3 वर्षों के औसत उत्पादन, जो अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है ।

8. ''**लघु उद्योग इकाई**'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र धारित करती हो ।

9. ''**मध्यम/वृहद औद्योगिक इकाई**'' से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसका सकल स्थायी पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लघु उद्योगों हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक, किन्तु रु. 100 करोड़ से कम हो, भारत सरकार से यथास्थिति आई.ई.एम., औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन–प्रमाण पत्र धारित करती हो ।

10. ''**मेगा प्रोजेक्ट**'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने रुपये 100 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए दिनांक 1 नवंबर 2004 के पश्चात् उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा भारत शासन उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम., औद्योगिक लायसेंस, आशय पत्र प्राप्त कर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो ।

11. ''**विशेष थस्ट सेक्टर उद्योग**'' से अभिप्रेत है परिशिष्ठ–2 में उल्लिखित उद्योग ।

12. ''**सकल पूंजीगत लागत**'' से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल हैं उद्योग के स्थापना स्थल पर किया गया स्थायी पूंजी निवेश व अधोसंरचना लागत की कुल राशि ।

13. ''**अधोसंरचनात्मक लागत**'' से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नवीन उद्योग की स्थापना या उद्योग के विस्तार हेतु भूमि, भूमि विकास, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किये गये निवेश से है ।

14. ''**भूमि**'' से अभिप्रेत है औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु क्रय की गई या लीज पर ली गई भूमि से है तथा ''भूमि व्यय'' में सम्मिलित है – भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य /प्रीमियम तथा भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क ।

15. '**भूमि विकास**'' के अन्तर्गत सम्मिलित हैं भूमि का समतलीकरण, गहराई करण, ड्रेनेज निर्माण ।

टीप –भूमि विकास पर किया गया निवेश भूमि एवं भवन पर मान्य स्थाई पूंजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा ।

16. ''**पहुंच मार्ग**'' से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो औद्योगिक इकाई के फेक्ट्री स्थल के निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फेक्ट्री स्थल तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते शासन के किसी विभाग/उपक्रम का कोई पहुंचमार्ग फेक्ट्री स्थल तक न हो ।

17. ''**विद्युत आपूर्ति**'' से अभिप्रत है नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना या विद्यमान उद्योग के विस्तार में उत्पादन प्रारंभ करने हेतु विद्युत संयोजन पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को भुगतान की गई राशि ।

टीप : (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी।

(2) यदि केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना केवल स्वयं के उद्योग को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को ''विद्युत'' के तहत मान्य किया जावेगा; जिसके लिए विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।

18. ''**जल आपूर्ति**'' से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना / विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु जल आपूर्ति पर किया गया निवेश (सिक्यूरिटी व संबधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोडकर) यदि शासन के प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो ।

19. ''**स्थायी पूंजी निवेश**'' से अभिप्रत है नवीन उद्योग की स्थापना या विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग के स्थापना स्थल पर स्थाई परिसम्पत्तियों में शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, रेल्वे सााइडिंग पर किया गया निवेश ।

20. ''**शेड–भवन**'' से अभिप्रेत है और उसमसे शामिल हैं कि औद्योगिक इकाई के स्थापना स्थल पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोग शाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम गृह, साईकिल/स्कूटर स्टेण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट, माल गोदाम ।

21. ''**प्लांट एवं मशीनरी**'' सें अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं इकाई के स्थापना स्थल पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, पदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान, आदि हेतु स्थापित संयत्र उपकरणों से है ।

    टीप : पट्टे पर लिये गये ऐसे प्लाांट, मशीनरी तथा उपकरण जो न्युनतम 10 वर्ष की, कालावधि के लिए ली गयी हो व जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो मे किया गया निवेश भी प्लांट मशीनरी में किया गया निवेश मान्य होगा तथा उपकरण के मूल्य की गणना ''इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंटस ऑफ इण्डिया'' द्वारा जारी ''एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रक्रिया एवं मापदण्ड'' के अनुसार की जाएगी ।

22. ''**रेलवे साइडिंग**'' से अभिप्रेत औद्योगिक इकाई के कार्यस्थल से विद्यमान रेल्वे लाइन तक बिछाई गई रेल्वे लाइन तथा संबद्व सुविधाओं के निर्माण से है ।

टीप : स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

(क) लघु उद्योग की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छः मास बाद तक की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश ।

(ख) वृहद/मध्यम उद्योग की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से तीन वर्ष बाद तक की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश ।

(ग) मेगा प्रोजेक्ट की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष बाद तक की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश ।

23. **" अनुसूचित जाति"/अनुसूचित जनजाति** से अभिप्रेत है । भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जाति ।

24. **"अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग** द्वारा प्रस्तावित /स्थापित उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति /जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाए या स्थापित की जानी प्रस्तावित हो, तथा भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के मूल निवासी हों ।

1.6 <u>सम्पर्क व्यक्ति :–</u>

श्री एस.के.बेहार
प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
जीवन बीमा निगम व्यवसायीक परिसर,
पंडरी, रायपुर (छ.ग.) – 492 004

दूरभाष क्रमांक – 2583789–90
फैक्स : 0771–2583794
ई–मेल **csidc_raipur@yahoo.com**
csidc@csidc.in

ब. शाखा कार्यालय बिलासपुर
शाखा प्रबंधक,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
औद्योगिक क्षेत्र तिफरा
बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 07752–252367

स. शाखा कार्यालय दुर्ग
सहायक प्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
75–जी.ई.रोड
दुर्ग (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0788–2323184

1.7 **<u>मैन्यूअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क</u>**

मैन्यूअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु, आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र में औचित्य दर्शाते हुये निर्धारित शुल्क सहित, निगम के प्रबंध संचालक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा । आवेदक द्वारा किसी दस्तावेज की प्रति मागें जाने पर, इसका वास्तविक व्यय, आवेदक को कार्यालय में जमा करना होगा ।